फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

जुगल किशोर बनाम **सीतादेवी**

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 07 सन–2020

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम का तामील में जारी हुए
01.01.2021	प्रार्थी / सायल की और से जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र पेश होने पर एक तरफा बहस प्रार्थना पत्र सायल अभिभाषक सुनी गई व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण / गैरसायल 1 इस आश्य की जारी की जाती है कि रोही मौजा चक देईदासपुरा के खाता संख्या 80 / 155 के खसरा न0 76 / 4 की 0.254हैक भूमि दक्षिणी पासा की भूमि सीव डोल को आगामी तारीख पेश तक मिस्मार नही करे यदि इस सम्बध में अप्रार्थीगण को कोई एतराज हो तो निधारित तिथि पर न्यायालय मे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे आगामी तिथि को अस्थायइी निषेधाज्ञा बढाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कि या जावें अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 17.02.2021 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर उपखण्ड अधिकारी नोहर	
17/2/21	वकील सायल उप० गैर सायलान उप. नहीं। गैर सायलान की तलबी हेतु रजि. तलबी सम्मन वकील सायल प्रस्तुत करे। पत्रावली दि० 30/4/21 को पेश हो।	
24/2/21	~~वकील वादी के निवेदन पर पत्रावली पेश हुई। वकील वादी ने निवेदन किया की गैरसायल सायल की भूमि में दखल कर रहा है स्थगन की मियाद बढाई जावे [illegible] में स्थगन की मियाद आगामी ता. तिथि तक बढाई जाती है पत्रावली दि [illegible] को पेश हो~~	

Scanned with CamScanner

	पत्रावली पैश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब .... पत्रावली दि० ....को पेश हो।
30/4/21	वकील सायल उपस्थित गैरसायल वा तामील समन पेश किया सायल मिसल किया वकील सायल के निवेदन पर [illegible] आदेश की मियाद आगामी [illegible] पेशी के अलावा जारी [illegible] दि 13/5/21 को पेश व पुनश्च [illegible] पेश किया [illegible] मिसल किया पत्रावली दि 13/5/21 को पेश हो (हस्ताक्षर)
13.5.21	पत्रावली पैश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब अन्य कार्यों अन्य कार्यों में पत्रावली दि० ....को पेश हो 20.7.21
5/7/21	वकील सायल उपस्थित प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया पक्षकारों का आपस में राजीनामा हो चुका है इसलिए प्रार्थीगण नहीं चलना चाहते खारिज फरमावें। सायल पक्ष के द्वारा अपना प्रार्थना पत्र नहीं चलाने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है पत्रावली दाखिल दफ्तर हो (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी नोहर

Scanned with CamScanner